

57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्र.क्र./

/2016-17

R 1193-I-17

1. अनंदी तनय लक्ष्मन यादव आयु 55 साल
2. भागीरथ तनय लक्ष्मन यादव आयु 32 वर्ष  
निवासी ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़  
जिला-टीकमगढ़ म0प्र0

.....निगराकारगण

बनाम

1. हिरिया पत्नि मुच्चा अहिरवार निवासी  
ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़  
जिला-टीकमगढ़ म0प्र0
2. शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

.....प्रतिनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

18-4-17 निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधिनस्थ अधिकारी राजस्व निरीक्षक महोदय  
डारगुंवा तहसील बल्देवगढ़ के राजस्व प्रकरण क्र. 24/अ-12/2015-16  
मे पारित आदेश दिनांक 05.11.2016 के विरुद्ध

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है-

1. यह कि भूमि खसरा नंबर 141/2 एवं 144/2 रकवा क्रमशः 0.261, 0.344 हे. स्थित ग्राम लमेरा तहसील बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़ म0प्र0 पर निगराकारगण का पुस्तेनी कब्जा है जिस पर निगराकार का कुंआ पक्का बना हुआ है व सिंचाई हेतु ट्यूब भी मौके पर लगा है इमारती फलदार वृक्ष लगे है बंदिया डाली गई है, मौके पर गेहूँ, सरसो आदि की फसल खड़ी हुई है जिसका बंटन प्रतिनिगराकार को निगराकारगण की जानकारी के आभाव मे किया गया है। बंटन आदेश की जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 1173-एक/2017

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक डारगुंवा तहसील बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05-11-2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 हिरिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 19-10-2016 को सरहदी कास्तकारों के समक्ष सीमांकन किया गया। प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदिका आनंदी बाई मौके पर उपस्थित रही, किन्तु हस्ताक्षर करने के इंकार का टीप का उल्लेख है। सीमांकन में अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि पर आवेदिका का अवैध कब्जा पाया गया। आदेश की प्रति के साथ फील्ड बुल भी संलग्न किया गया है। दिनांक 19-10-2016 को सीमांकन के पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 5-11-2016 को सीमांकन की पुष्टि की है। राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। सीमांकन से केवल सीमाओं का ज्ञान होता है किसी प्रकार</p>	

का स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। यदि आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है राजस्व निरीक्षक डारगुंवा तहसील बल्देवगढ़ का आदेश दिनांक 05-11-2016 यथावत रखा जाता है।

  
(एस0 एस0 अली)  
सदस्य

